झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 19 माघ, 1940 (श0) / 08 फरवरी, 2019 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभाग को भेजी गई सां0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
658.	स–21	डॉ0 इरफान अंसारी	स्वास्थ्य बीमा का लाभ	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	14.01.19
659.	रा–35	श्री चम्पाई सोरेन	रैयतों की जमीन वापस कराना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	01.02.19
660.	रा–10	श्री ढुलू महतो	पुराने पर्चा से रसीद कटाना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	14.01.19
*661.	रा–20	श्रीमती गीता कोड़ा	राजस्व ग्राम का दर्चा	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	20.01.19
662.	स–22	श्रीमती गीता कोड़ा	स्वास्थ्य सेवा बहाल करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	16.01.19
#663.	स–38	श्रीमती विमला प्रधान	वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	20.01.19
664.	रा–31	श्रीमती विमला प्रधान	कर्मचारी/पदाधिकारी पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.01.19

*ज्ञापांक-429(2) दि0-31.01.19 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित।

#ज्ञापांक-36(13) दि0-23.01.19 द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06.
665.	स-36	श्री राम कुमार पाहन	चाहरदीवारी एवं बिजली व्यवस्था।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	20.01.19
666.	रा-26	श्री मनोज कुमार यादव	जमीन का मालीकाना पर्चा दिलाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	23.01.19
667.	रा-34	श्री अमित कुमार मंडल	भूमिहीनों को वासगीत पर्चा दिलाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	01.02.19
668.	स-55	श्री मनोज कुमार यादव	चिकित्सक एवं ANM की पदस्थापना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	23.01.19
669.	स-47	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	अस्पताल भवन का निर्माण	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	20.01.19
670.	स-43	श्री सुखदेव भगत	डॉक्टरों की कमी दूर करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	20.01.19
671.	का-21	श्री बादल	क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	01.02.19
672.	रा-32	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	जमीन संबंधी त्रुटि को दूर करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	29.01.19
673.	स-67	श्री जानकी प्रसाद यादव	अधूरे कार्य का पूर्ण करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	29.01.19
674.	श्रनि-02	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	कॉलेज चालू कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	11.01.19
675.	स-46	श्री निरल पूरती	स्वास्थ्य केन्द्र भवन पूर्ण कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	20.01.19
676.	रा-33	श्री अमित कुमार मंडल	जमीन को बिक्री योग्य बनाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	01.02.19
677.	रा-02	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	मुआवजा भुगतान।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	11.01.19
678.	श्रनि-13	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	बच्चों को प्रशिक्षण।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	29.01.19
679.	स-48	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	आवासीय भवन बनाना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	20.01.19
680.	स-26	श्रीमती जोबा मांझी	स्वास्थ्य केन्द्र का स्थानांतरण	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	16.01.19
681.	स-59	श्रीमती सीमा देवी	शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	23.01.19

(कृ0पृ030)

158

डॉ0 इरफान अंसारी, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 8.02.19 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0–21 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में गरीब एवं उपेक्षित परिवारों का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना को 25 सितम्बर, 2018 से कियान्वित किया गया है ;	स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) का देशभर में दिनांक–23 सितम्बर, 2018 से लागू है।
2.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिले में मरीजों को उक्त योजना का सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल पाने से आये दिन मरीजों की जान जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। –जामताड़ा जिला अंतर्गत उक्त योजना का पूर्ण लाभ मरीजों को दिया जा रहा है। –जामताड़ा जिला अंतर्गत कुल 05 सरकारी एवं 03 निजी अस्पतालों को सूचीबद्व किया गया है। –जामताड़ा जिले में कुल–589 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, जिसमें 557 मरीजों का Claim Submit किया गया। इसमें 343 Claim की राशि कुल–3,70,700(तीन लाख सतर हजार सात सौ) रूपये का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना के कियान्वयन को सुगम बनानें हेतु आवश्यक निर्णय के साथ–साथ ये बतायेगी कि आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में कुल कितने सरकारी व निजी अस्पतालों को सुचीबद्व किया गया है तथा आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत 05 जनवरी, 2019 तक कुल कितने रोगियों को निबंधित किया गया तथा बीमा कम्पनियों के द्वारा कितनी दावित राशि का भुगतान किया गया ?	–आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत अब तक झारखण्ड राज्य में 218 सरकारी अस्पताल व 367 निजी अस्पताल कुल–585 अस्पतालों को सूचीबद्व किया गया है। –आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत 21 जनवरी 2019 तक कुल–12,18,968(बारह लाख अठारह हजार नौ सौ अरसठ) लाभुकों को निबंधित कर गोल्डेन कार्ड दिया गया है। –इस योजना के अंतर्गत 21 जनवरी 2019 तक 38,473 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, इसमें 33,802 मरीजों का Claim किया गया एवं 22,158 Claim Submit की राशि कुल–20,10,95,325(बीरा करोड़ दस लाख पनचान्वे हजाार तीन सौ पचीस) रूपये दावे की राशि का भुगतान बीमा कम्पनियों के द्वारा किया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 13/वि0 स0–07–02/2019 42 (13) राँची, दिनांक: 24-1-19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापाक सं0–218/वि0स0 दिनांक 14.01.19 के क्रम में उतर सामग्री की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17 को सूचनार्थ प्रेषित।

23/1/2019

सरकार के उप सचिव।

(659)

श्री चम्पाई सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–35 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री चम्पाई सोरेन, मा०स०वि०स०		उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम आंसगी ओला वर्गीडीह एवं कृष्णापुर के कुल 47.57 एकड़ में से 36.13 एकड़ भूमि संबंध रैयतों को डीड ऑफ रिन्वेयेन्स के द्वारा वापस करने का आदेश 2017 में ही दिया गया था ;		मौजा–कृष्णापुर (132) एवं आंसगी के कुल 47.57 एकड़ में से 36.13 एकड़ रैयती भूमि को डीड ऑफ रिकन्वेयेन्स द्वारा मुआवजा की राशि की अदायगी के शर्त पर सम्बद्ध रैयतों अथवा उनके वास्तविक उत्तराधिकारी/ वारिसान को भूमि वापस करने का निदेश है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित भूमि रैयतों को वापस करने हेतु सचिव, राजस्व, निबंधन भूमि सुधार विभाग द्वारा पत्रांक–10/डी.एल.ए.वि. आश्वा. –56/2011–210 (8)/नि.रा. राँची, दिनांक–14.03.2017 द्वारा प्रबंध निदेशक, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को आदेश दिया गया था ;		स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–I एवं II में वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रबंध निदेशक, आयडा, आदित्यपुर द्वारा अभी तक विभागीय पत्र सं०–86/राँची, दिनांक–26.03.15 का भी अनुपालन नहीं किया गया है ;		इस संबंध में प्रबंध निदेशक के द्वारा एक कमिटी का गठन किया गया जिससे इस मामले का निराकरण किया जा सके। कमिटि द्वारा कृष्णापुर एवं आसंगी मौजा में समय–समय पर सम्बद्ध रैयतों से वंशावली की मांग की गई जिससे वारिसान का सत्यापन किया जा सके, तत्पशचात कृष्णापुर एवं आसंगी मौजा के वारिसान द्वारा वंशावली संबंधी कागजात दिये गये जिसका सत्यापन अंचल कार्यालय के सहयोग से कैम्प लगाकर कर लिया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि वापस करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्कालीन राजस्व सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, आयडा, आदित्यपुर द्वारा रैयतों की जमीन वापस करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		प्रबंध निदेशक, आयडा के द्वारा रैयतदारों की भूमि वापस करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08 बी० /भू० अ०नि०, वि०स० (तारांकित)–32/2019.....125...../नि०रा०, राँची, दिनांक–07.02.19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1077/वि०स०, दिनांक–01.02.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/2/19

सरकार के अवर सचिव।

(660)

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–10 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स०		उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा नए सर्वे के बाद नया पर्चा उपलब्ध कराया गया है ;		स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नए पर्चा के आधार पर रसीद काटने का भी निर्देश जारी किया गया है ;		स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि नए पर्चो में भारी त्रुटियां पाई गई है, जिससे रसीद काटने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नये पर्चा में हुई त्रुटियों को सुधार करने एवं सुधार होने तक पुराने पर्चा से रसीद काटने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		पुराने पर्चे अवक्रमित हो चुके है। नये पर्चे के आधार पर ऑनलाईन डिजिटाईजेशन में सुधार हेतु विभागीय पत्रांक–602/नि.रा., दिनांक–06.11.2018 के द्वारा 365 दिन ऑनलाईन पोर्टल में सुधार का विकल्प निर्गत है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02 /भू०अ०प०नि० वि०स० (तारांकित)–01/2019–75/G राँची, दिनांक– 28-01-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–221/वि०स०, दिनांक–14.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/19

सरकार के अवर सचिव।

661

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा–20 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सारंडा के बीहड़ में बसे 20 गाँवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने का निर्णय सरकार द्वारा लिये जाने के बाद भी इस मामले में कोई सकारात्मक पहल अबतक नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित गाँवों में विकास योजनाएँ धरातल पर उतारने हेतु राजस्व ग्राम का दर्जा जरूरी है ;	सारण्डा वन क्षेत्र में वर्त्तमान राजस्व एवं वन ग्रामों के अतिरिक्त वनभूमि अतिक्रमण कर कतिपय मकान/खेती की गई है, जिनपर वन अधिनियम के तहत् कानूनी कार्रवाई की गई। राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमित क्षेत्रों को राजस्व ग्राम के रूप में घोषित करने का कोई विचार नहीं है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में 20 गाँवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–40/2019–626 व0प0, राँची, दिनांक– 07/02/2019

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–656 दिनांक– 20.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/2/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

662

श्रीमती गीता कोड़ा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0–22 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत नोवामुन्डी प्रखण्डाधीन दूधबिला पंचायत के खास बहदा गाँव में बना स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन दो साल से उदघाटन की बाट जो रहा है तथा भवन में झड़िया उग गयी है एवं बड़ा जामदा CHC में दर्जनभर केन्द्र भवन विहिन है इसी तरह कोटगढ़ के भोजसाई में CHC भवन करीब पाँच वर्षो से अधूरा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विषय के आलोक में ग्रामीणों की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवायें बहाल करने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि नोवामुंडी प्रखण्ड के बड़ा जामदा पंचायत के रूतागुटू गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन बना है। उक्त नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन से ही उक्त क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाऐं उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में भूमि तथा बजट उपलब्धता के आधार पर बड़ाजामदा प्रखण्ड के 14 (चौदह) स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 09/2019–219 स्वा0, राँची, दिनांकः 06.02.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 390/वि0स0, दिनांक– 16.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/2/19
सरकार के अवर सचिव।

(663)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती विमला प्रधान, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स.-38

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार के पदाधिकारी/कर्मचारियों के चिकित्सा हेतु परिपत्र संख्या–354 (10) दिनांक 15.09.2006 के आलोक में कैंसर, यक्ष्मा, कुष्ट रोग आदि की चिकित्सा व्यय में वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है;	वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, झारखण्ड के परिपत्र संख्या–354 (10) दिनांक 15.09.2006 के कंडिका–6 के आलोक में पूर्वानुमति के मामले में कैंसर, यक्ष्मा, कुष्ट रोग आदि की चिकित्सा व्यय में वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। उक्त परिपत्र की कंडिका-2, 3 एवं 11 के आलोक में निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विपत्रों की राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि परिपत्र में टाटा मेमो. हॉस्पीटल, मुंबई भी अंकित है और कैंसर के इलाज कराने पर उसकी वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति मान्य है;	वस्तुस्थिति यह है कि टाटा मेमो. हॉस्पीटल, मुंबई उक्त परिपत्र के कंडिका-2 में अंकित है तथा पूर्वानुमति के मामले में वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति परिपत्र संख्या–354 (10) दिनांक 15.09.2006 के कंडिका–11 के आधार पर की जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि श्री मन्द्रशेखर प्रसाद, सहायक शिक्षक, उ.म. विद्यालय कमलडीह, चास 01 की पत्नी का इलाज टी. एम.एच. मुंबई में हुई है और इनके चिकित्सा में व्यय की वास्तविक खर्च का भुगतान नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त परिपत्र के आलोक में स्वीकृत्यादेश संख्या-456, दिनांक 20.02.2018 के द्वारा रुपये 120000/- (एक लाख बीस हजार) मात्र तथा स्वीकृत्यादेश संख्या-1013, दिनांक 20.06.2018 के द्वारा रुपये 66573/- (छियासठ हजार पाँच सौ तिहत्तर) मात्र का भुगतान किया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, झारखण्ड के परिपत्र संख्या-354 :10द्ध दिनांक 15.09.2006 के कंडिका-11 के अनुसार राज्य मेडिकल बोर्ड के एक अनुशंसा के पश्चात तीन बार तक चिकित्सा/चेकअप की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री प्रसाद के द्वारा चिकित्सा पर्षद के स्वीकृति के बगैर सात

Khurshid

		चेक अप के राशि का दावा एक बार में ही किया गया है. इस संबंध में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इस पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग के अधीन मेडिकल बोर्ड की सहमति एवं विपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री मन्द्रशेखर प्रसाद की पत्नी को चिकित्सा में व्यय हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

अकुशिह
04/02/19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 15/वि.स.-22/19 — 240 / राँची, दिनांक 04.02. 2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 644, दिनांक 20.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुशिह
4/2/19
सरकार के अवर सचिव

(664)

श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–31 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में ऑनलाईन दाखिल–खारिज का कार्य एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है और आम जनता की सुविधा हेतु ऑनलाईन लागू किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बिना किसी कारण के आवेदनों को रद्द कर दिया जा रहा है जैसे :– (क) ग्राम पाण्डेयडीह अंचल जमुआ, जिला–गिरिडीह, खाता–46, प्लॉट–483 एवं 486 जो अर्जुन मोदी के नाम से दर्ज है, 2015–16 तक मेनुअल रसीद कटा हुआ है परन्तु ऑनलाईन रिकार्ड हेतु कई आवेदन के बाद भी कार्रवाई नहीं कि गई। (ख) ग्राम–हुटू, ओरमांझी, जिला–राँची Case No.-851/2018-19, 852, 853, 854/2018-19 खाता नं०–159, प्लॉट नं०–234 सुमित्रा देवी, कुमारी मीरा प्रसाद, अनीता कुमारी, मधुमाला। (ग) ग्राम–कोल्हयाकनाद अंचल–कांके, जिला–राँची के खाता नं०–16, प्लॉट नं०–130, Case No.-3717/2016-17 को निराधार कारण से रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण आम जनता को परेशानी एवं सरकार की बदनामी हो रही है;	अस्वीकारात्मक। (क) ग्राम–पाण्डेयडीह, अंचल जमुआ, जिला–गिरिडीह खाता नं०–46, प्लॉट–483 एवं 486 एवं अन्य प्लॉट कुल रकबा–15.56 एकड़ जमीन रैयती खाते की है। सर्वे खतियान सितो मोदी के नाम से है। उक्त जमीन मे पंजी–II भोलुम– II पृष्ठ संख्या–182 में कारू मोदी वगैरह एवं इसी पृष्ठ पर अर्जून मोदी का नाम से दोहरी जमाबंदी कायम है। अतः जमाबंदी अलग करने हेतु उभय पक्षों को अंचल अधिकारी, जमुआ द्वारा नोटिस निर्गत की गई है। सुनवाई के उपरान्त अंचल अधिकारी, जमुआ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। (ख) ऑनलाईन नामांतरण आवेदन में अंकित प्लॉट संख्या पंजी–II एवं बिक्री दस्तावेज में अंकित प्लॉट से भिन्न होने के कारण ऑनलाईन नामांतरण प्रक्रिया में तकनिकी त्रुटि परिलक्षित हुई, जिसके कारण नामांतरण आवेदन को खारिज किया गया है। उल्लेखनीय है कि पंजी–II में प्लॉट संख्या–234/09, 234/10, 234/11, 234/12 अंकित है जबकि नामांतरण आवेदन में केवल 234 अंकित की गई थी। प्लॉट संख्या में भिन्नता के कारण सही प्लॉट संख्या स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। आवेदक के द्वारा पुनः सही प्लॉट संख्या को स्पष्ट करते हुए आवेदन दिनांक–02.02.2019 को दी गयी है। इस संदर्भ में नामांतरण स्वीकृति हेतु उचित कार्रवाई करते हुए निष्पादन कर दिया जायेगा। (ग) प्रश्नगत नामांतरण वाद संख्या–3717/16–17 को राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार विक्रेता के नाम से जमाबंदी नही होने के कारण अस्वीकृत किया गया है। पंजी–II में आवश्यक सुधार कर लिया गया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि के नामांतरण हेतु पुनः नामांतरण वाद संख्या–5054/18–19 दिनांक–20.01.2019 को दायर किया गया है जो अभी प्रक्रियाधीन है। यथाशीध्र इसका निष्पादन कर दिया जायेगा।

3	क्या यह बात सही है कि ऑनलाईन आवेदनों पर अंचल के कर्मचारी एवं पदाधिकारी के कारण के कारण आवेदनों का निष्पादन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है जिसके कारण आम जनता को परेशानी एवं सरकार की बदनामी हो रही है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। दाखिल–खारिज की सभी प्रक्रिया ऑनलाईन है। प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का निष्पादन पारदर्शी तरीके से ससमय किया जा रहा है। त्रुटि निराकरण हेतु विभागीय पत्रांक–602/नि. रा., दिनांक–06.11.2018 के द्वारा वर्ष के सभी 365 दिन पोर्टल खोलने हेतु राज्य NIC, धुर्वा, राँची को निदेश दिया गया है। विभागीय पत्रांक–4410, दिनांक–29.10.2018 द्वारा कुल 649 नये राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जिससे की सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा एवं कार्य और भी पारदर्शी तरीके से त्वरित गति से निष्पादित होगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01 /निदे० अभि०, (वि०स०) तारां०–08/2019-106/राँची, दिनांक–07-02-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–925/वि०स०, दिनांक–25.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/19

सरकार के उप सचिव।

(665)

श्री राम कुमार पाहन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–08.02.19 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स– 36 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि रांची जिला अन्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के ग्राम हेसल स्थित नये उप स्वास्थ्य केन्द्र की सुरक्षा हेतु चाहरदिवारी एवं बिजली व्यवस्था नहीं होने के कारण शरारती तत्व के लोगों एवं मवेशियों द्वारा उक्त केन्द्र को काफी नुकसान पहुँचा रहे हैं ;	स्वीकारात्मक। अनगड़ा प्रखण्ड के ग्राम हेसल स्थित नये उप स्वास्थ्य केन्द्र की चाहरदिवारी का प्रावधान प्राक्कलन में नहीं था। भवन की खिडकी के शीशे टूटें है जिसे ठीक करा लिया जायेगा।
2-	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चाहरदिवारी निर्माण एवं बिजली व्यवस्था यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	ग्राम हेसल स्थित नये उप स्वास्थ्य केन्द्र Health & Welness Centre में उत्क्रमित के लिए प्रस्तावित है, तदनुसार चाहरदिवारी निर्माण कराया जायेगा।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-04/19 105(15) राँची, दिनांक– 6/2/2019
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 642 दिनांक– 20-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.2.19
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(666)

श्री मनोज कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–26 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री मनोज कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बरही एवं चौपारण प्रखण्ड के ग्रामीणों को डी.भी.सी. द्वारा निर्मित तिलैया डैम के विस्थापितों को बरही प्रखण्ड के पंचमाधव, कोलंगा, रालों, खोड़ाआहार गांवों के ग्रामीणों को डी.भी.सी. द्वारा जमीन देकर बसाया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नियमानुसार भू–राजस्व विभाग द्वारा अभीतक जमीन का मालिकाना पर्चा निर्गत नहीं किया गया है ;	विभागीय संकल्प संख्या–820, दिनांक–18.11.2016 द्वारा भू–अर्जन से प्रभावित/विस्थापित परिवारों को पुर्नस्थापित वासस्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के संबंध में नीति निर्धारित किया गया है। बरही अंचल अंतर्गत विस्थापितों को कुल 38 प्लॉटों का मालिकाना पर्चा (शुद्धि पत्र) निर्गत किया गया है। चौपारण अंचल में भी मालिकाना पर्चा निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। DVC परियोजना के लिए सरकार द्वारा 1950–60 के दशक में भूमि हस्तांतरित किया गया तथा DVC द्वारा रैयतों के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के तहत् बसाया गया, उक्त समय के मामला लंबित पड़ा है। अतएव जाँचोपरांत रैयतों को मालिकाना पर्चा (शुद्धि पत्र) निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08 बी० /भू० अ०नि०, वि०स० (तारांकित)–25/2019 123/रा० राँची, दिनांक– 07-02-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–838/वि०स०, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/19

सरकार के अवर सचिव।

667

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–34 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखण्ड गोड्डा के गोड्डा नगर परिषद् क्षेत्र के लोहिया नगर कदरसी टोला, भतडीहा, गोड्डा के जगता टोला दियरा ग्राम डोमसी टोला, ग्राम–सरौतिया के मिर्धा टोला, शिवपुर गोड्डा शिवपुर तालाब के बगल के डोमसी टोला एवं पथरगामा प्रखण्ड के ग्राम–विशाहा के लैया टोला में समाज के अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़े जाति के गरीब भूमिहीन सरकारी भूमि पर विगत् 40 वर्षों से किसी तरह घर बनाकर निवास कर रहे है;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के नीति के तहत् प्रत्येक वर्ष अभियान चलाकर ऐसे भूमिहीनों की सूची बना कर निवास करने योग्य स्थान पर पर्चा निर्गत करने का प्रावधान किया गया है;		स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित ग्राम/टोलों के गरीब भूमिहीनों को सभी तरह के सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है;		नियमानुसार सरकारी लाभ दिया जा रहा है।
4.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा विधान–सभा क्षेत्र में चार वर्षों से ऐसे भूमिहीनों को चिन्हित करने के लिए कोई भी सर्वे नहीं किया गया है;		आर्थिक एवं सामाजिक जनगणना के तहत् भूमिहीन एवं आवास विहिनों का सर्वे किया गया है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित ग्राम/टोला के भूमिहीनों को बासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं, तो क्यों ?		विभागीय संकल्प सं0–6144/रा0, दिनांक–21.12.17 द्वारा सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर भूमि उपलब्ध कराने के संदर्भ में सुयोग्य श्रेणी की परिभाषा को विस्तारित करते हुए इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (सूची–1 एवं 2), वैसे सैनिक/अर्द्धसैनिक बल के सदस्य जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान वीरगति प्राप्त/शहीद हुए हो, के उत्तराधिकारी, 1947 के विभाजन तथा उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान एवं बर्मा से आये हुए शरणार्थी, सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार, भूमिहीन दिव्यांग तथा कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मी को शामिल

			किया गया है। ताकि वैसे परिवारों के जीविकोपार्जन के साधन को सुदृढ़ करते हुए उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। सरकार के नीति के अनुरूप आवास हेतु 12.5 डि0 एवं कृषि कार्य हेतु 5.00 एकड़ तक की भूमि बंदोबस्ती करने का प्रावधान है। उक्त आलोक में विभागीय पत्र संख्या–6205, दिनांक–27.12.17 एवं पत्रांक–354, दिनांक–24.01.18 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को अवैध/अनियमित जमाबंदी को रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके नाम से कायम जमाबंदी को नियमित करने हेतु निर्धारित नीति के अनुपालन करने के संबंध में निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–5/स0भू0 वि0स0 (तारां0)–28/2019.....528.....(5)/रा0 राँची, दिनांक– 07-02-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1076/वि0स0, दिनांक–01.02.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
7.2.19

668

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–08.02.19 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स– 55 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत करमा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है ;	स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत करमा में 02 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। • झारखण्ड गठन के पूर्व से 01 स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है। • झारखण्ड गठन के बाद दूसरा स्वास्थ्य उपकेन्द्र का नया भवन बनकर तैयार है।
2-	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र में एक भी चिकित्सक एवं ए0एन0एम0 पूर्ण रूपेण पदस्थापित नहीं है जिस कारण मरीजों का काफी परेशानियॉ हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड गठन पूर्व से संचालित 01 स्वास्थ्य उपकेन्द्र में 01 (ए0एन0एम0) श्रीमती मीना कुमारी पदस्थापित है। नया भवन में 01 ए0एन0एम0, कुमारी विमला (अनुबंध DMFT), 01 अस्पताल प्रबंधक, श्री मनीष कुमार (अनुबंध DMFT) एवं 01 प्रयोगशाला प्रावैधिक, श्री दुर्गा पासवान (अनुबंध DMFT) पदस्थापित है स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र ही खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक एवं ए0एन0एम0 का पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-13/19 107(15) राँची, दिनांक– 6/2/2019
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–834 दिनांक– 23-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.2.19
सरकार के उप सचिव

Tiwari

669

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 47 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में सदर अस्पताल लम्बे समय से निर्माणाधीन है;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, चतरा का भवन निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 02(5)ब दि0 10.5.2008 द्वारा कुल 4,99,82,000/– की लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई थी। निर्माण कार्य के दौरान संवेदक द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर कार्य नहीं कर मनमाने ढंग से कार्य कराए जाने के कारण विभागीय निदेश के आलोक में तत्कालीन मुख्य अभियंता/कार्यपालक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसका एकरारनामा विखंडित कर दिया गया था उसके अग्रधन राशि एवं जमानत राशि की राशि जब्त कर ली गई । उक्त योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 170(6)ब दिनांक 11.01.2017 के द्वारा कुल 9,39,11,900/– की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
2. क्या यह बात सही है मरीजों को भवन निर्माणाधीन रहने के कारण चिकित्सा हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;		पूर्व से निर्मित सदर अस्पताल भवन के माध्यम से चिकित्सा सेवा दी जा रही है। वर्तमान में सदर अस्पताल, चतरा में 12 चिकित्सा पदाधिकारी, 16 परामेडिकल कर्मियों (नियमित 06 एवं अनुबंध 10) पारामेडिकल कर्मी कार्यरत हैं। जिसके माध्यम से चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। चतरा जिला अन्तर्गत सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक ओ0पी0डी0 में कुल मरीजों की संख्या 60970, आपातकालीन मरीजों की कुल सं0 26047 एवं भर्ती मरीजों की संख्या 5354 है,
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सदर अस्पताल के भवन का पूर्ण निर्माण वर्ष–2019 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		प्रश्नाधीन योजना का निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा कराया जा रहा है। सदर अस्पताल का निर्माण कार्य दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 18/19–179 स्वा0, राँची, दिनांकः 30.1.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 652/वि0स0, दिनांक– 20.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/19
सरकार के अवर सचिव।

670

श्री सुखदेव भगत, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0– 43 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा प्राप्त है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में लोहरदगा सदर में मात्र 4 डॉक्टर पदस्थापित है जबकि नियमानुसार 30 डॉक्टरों की पोस्टिंग होनी चाहिए ;	आंशिक स्वाकारात्मक। वर्तमान में सदर अस्पताल, लोहरदगा में 9 चिकित्सक पदस्थापित है एवं 3 चिकित्सक भी प्रतिनियुक्त है। चिकित्सकों के उलब्धता के आधार पर रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि डॉकटरों की कमी के कारण मरीजों को ईलाज करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;	वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का ईलाज किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरदगा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को दूर करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0स0–03–13/2019 122(3) राँची, दिनांकः 28.1.2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 648/वि0स0 दिनांक 20.01.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.1.19

सरकार के उप सचिव

(671)

श्री बादल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–का0–21 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री बादल, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में उपायुक्त के अधीन कार्यरत कर्मियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन में बोर्ड प्रकीण नियमावली, 1958 की सुसंगत नियमों का पालन करना है;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत उपायुक्त/अनुमंडल कार्यालय में 8–10 लिपिक/प्रधान लिपिक विगत 8–10 वर्षों से योगदान की तिथि अथवा अन्तर जिला स्थानान्तरण के फलस्वरूप जिला मुख्यालय में कार्यरत है एवं इनका स्थानांतरण अब तक एक बार भी ग्रामीण क्षेत्र के प्रखण्ड/अंचल कार्यालय में नहीं हुआ है;		राँची समाहरणालय में स्वीकृत बल के अनुकुल कार्यरत बल उपलब्ध नहीं रहने के स्थिति में वरीयतम, कार्य में दक्षता एवं अनुभवी लिपिक एवं प्रधान लिपिकों को जिला मुख्यालय के विभिन्न शाखाओं में एवं अनुमंडल स्तर पर कार्यहित एवं लोकहित में आवश्यकता के अनुरूप पदस्थापित किया गया है एवं सेवा ली जा रही है। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 181 के तहत गठित जिला स्थापना समिति द्वारा लिपिक संवर्ग के कर्मियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन का निर्णय क्षेत्रीय कार्यालय यथा प्रखण्ड एवं अंचल में स्वीकृत बल के विरूद्ध उपलब्ध कार्यरत बल में से लिपिकों के कार्य अनुभव, दक्षता एवं वरीयता को दृष्टिपथ में रखते हुए लिया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों का स्थानांतरण खण्ड (1) में वर्णित नियमावली के तहत् जिला मुख्यालय से अन्यत्र क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण का का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?		कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–3/अ0क्षे0स्था0 (तारां0)–07/2019.....434.....(3)/रा0 राँची, दिनांक– 31-01-19

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–700/वि0स0, दिनांक–21.01.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\bidhan sabha\Prashn uttar dec 2018.docx

(672)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–32 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा०स०वि०स०		उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में खतियान को ऑनलाईन करने में काफी त्रुटी होने के कारण सुधार हेतु 2215 आवेदन किसानों द्वारा दिया गया है ;		आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुतः यह विषय खतियान के ऑनलाईन करने से संबंधित न हो कर सर्वे प्रकाशन से संबंधित है। पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज के खतियान के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् धारा 87 के अन्तर्गत 12390 वाद एवं हरिहरगंज तथा पिपरा में कुल 5315 वाद प्राप्त है, जिसकी सुनवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि खतियान ऑनलाईन करने के दौरान भूमि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर खाता प्लॉट एवं रकबा किसी दूसरे के नाम पर ऑनलाईन चढ़ा दिया गया है ;		अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लातेहार जिला के तर्ज पर मिनी सर्वे कराकर ऑनलाईन में हुई जमीन संबंधी सभी त्रुटि को शीध्र दुर कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		आंशिक स्वीकारात्मक है। पूर्व से प्राथमिकता की सूची के वादो के निष्पादन के पश्चात् यथाशीध्र पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, पिपरा एवं हरिहरगंज कुल 17705 धारा 87 के वादो के सुनवाई प्रारंभ की जायेगी तथा मामलों का नियमानुसार निष्पादन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01 /निदे० अभि०, (वि०स०) तारां०–10/2019-105/राँची, दिनांक– 07-02-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–988/वि०स०, दिनांक–29.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/19
सरकार के उप सचिव।

(673)

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 67 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि जिला – कोडरमा, प्रखण्ड–जयनगर, पंचायत–करियावाँ के ग्राम–कुशाहन में सरकार द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्वीकृति प्राप्त केन्द्र संचालित है;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इस स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर डॉक्टर, नर्स एवं कर्मियों का पद भी सृजित है और वे नियमित रूप से कार्य भी कर रहें है ;		स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि इस स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन का निर्माण 2013–14 में प्रारंभ हुआ था परन्तु आज तक कार्य न पूर्ण हुआ न ही संवेदक द्वारा कार्य किया जा रहा है, कार्य पूर्णतः बन्द है, भवन नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों एवं कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 59(6)ब दिनांक 15.12.13 द्वारा प्रश्नाधीन योजना की स्वीकृति दी गयी है। जमीन विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र इस अधुरे कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		प्रश्नाधीन योजना हेतु उपायुक्त, कोडरमा से विवाद रहित भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 30/19–225 स्वा0, राँची, दिनांकः 06.02.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 987/वि0स0, दिनांक– 29.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/19
अवर सचिव।

674

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–02 का उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत माण्डर प्रखण्ड के ग्राम हेसमी में वर्ष 2011–12 में आई0टी0आई0 कॉलेज बन कर तैयार है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज 7 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक चालू नहीं किया गया है, जबकि यह माण्डर विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आई0टी0आई0 कॉलेज को चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, माण्डर (राँची) को पी0पी0पी0 योजनान्तर्गत Techno India Pvt. Ltd को संचालित हेतु आवंटित किया गया था परन्तु उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं करने के फलस्वरूप MoA रद्द कर दिया गया है। पुनः उक्त आई0टी0आई0 के संचालन हेतु Jharkhand Skill Development Mission Society (JSDMS) के अन्तर्गत Empanelled Training Service provider (TSP) के माध्यम से निविदा आमंत्रित किये गये है एवं आई0टी0आई0 आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

ह०/–
(युगेश्वर पासवान)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–60/2019श्र0नि0– 165 **राँची दिनांक–** 21/01/2019

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–104, दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.1.19

सरकार के उप सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-60-2019.docx

(675)

श्री निरल पुरती, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 46 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत ताँतनगर प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ताँतनगर का भवन अर्ध निर्मित है;	स्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य उपायुक्त द्वारा चयनित कार्य एजेंसी, जिला परिषद, चाईबासा के माध्यम से कराया जा रहा था। भवन में फिनिसिंग कार्य नहीं हुआ है। खिड़की, दरवाजा एवं बिजली वाईरिंग का काम अधूरा है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दस पंचायतो को आच्छादित करता है। इसके अंतर्गत 01 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 18 स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है। जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र भवन अधूरा रहने के कारण पुराना भवन में समुचित स्वास्थ्य सेवाएँ देने में कठिनाई हो रही है, जिस कारण से ग्रामीण जनता स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तांतनगर का नया भवन अद्धनिर्मित रहने के कारण क्षेत्र के लोगों को पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तांतनगर में कुल 03 चिकित्सा पदाधिकारी, 01 मलेरिया निरीक्षक एवं 05 पारामेडिकल कर्मियों के माध्यम से स्वस्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तांतनगर में वर्ष 2018–19 में अबतक 18136 ओ0पी0डी0 एवं 286 आई0पी0डी0 रोगियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा चुकी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित एवं जनहित में उक्त अधूरे पड़े स्वास्थ्य केन्द्र भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल 3,53,59,200 (तीन करोड़ तीरेपन लाख उनसठ हजार दो सौ) रूपये की लागत पर दी गई थी। योजना कार्यान्वयन उपायुक्त द्वारा चयनित कार्य एजेंसी जिला परिषद, पश्चिम सिंहभूम के माध्यम से कराया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा विभागीय स्तर से कार्य कराने पर रोक लगाये जाने के कारण कार्य अधुरा रहा। योजना को पूर्ण कराने हेतु विभागीय पत्रांक–1043 दिनांक–14.07.17 एवं स्मार पत्रांक–1423 दिनांक–20.09.17 पत्रांक 1494 दिनांक–16.10.17 तथा पत्रांक–637 दिनांक–29.05.18 एवं अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 1662 दिनांक–29.11.17, अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 1031 दिनांक–10.08.18 तथा अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 1334, दिनांक–05.11.18 द्वारा अद्यतन अनसचित दर पर पनरीक्षित प्राक्लन की मांग

		उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम से की गई है। प्राक्लन प्राप्त होते ही योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 17/19– 170 स्वा0, राँची, दिनांकः 28.1.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 651/वि0स0, दिनांक– 20.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/19
सरकार के अवर सचिव।

676

श्री अमित कुमार मंडल माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 रा0–33 का प्रश्नोत्तरः–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत बकास/कामत जमीन भी वसौड़ी जमीन की तरह बिक्री योग्य है, यदि वसौड़ी जमीन की तरह बिक्री योग्य नहीं है, तो इसकी कितनी बार वकास/कामत जमीन की बिक्री की जा सकती है;	अस्वीकारात्मक। सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक–14.09.2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में संथाल परगना प्रमंडलान्तर्गत मात्र ऐसी रैयती भूमि ही हस्तांतरणीय है, जो कि सर्वे अभिलेख में ''बसौढ़ी'' के रूप में दर्ज है।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत बकास/कामत जमीन का वर्त्तमान समय में बिक्री बंद कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वसौड़ी जमीन की तरह वकास/कामत जमीन को बिक्री योग्य बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संबंधित विषय में विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक– 06/वि0स0(तारां0)–28/2019 – 526 (6)/रा0, राँची, दिनांक– 07-02-19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1075, दिनांक– 01.02.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(677)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–02 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा०स०वि०स०		उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बेड़ो प्रखण्ड के पुरियो पंचायत में पथ विभाग द्वारा ग्राम पुरियो सेमरा से चनगनी तक पथ निर्माण का हो रहा है।		स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में रैयतों की जमीन भी जा रही है ? जिसके मुआवजा भुगतान विभाग द्वारा अभी तक नहीं हुआ है।		अस्वीकारात्मक। भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं रहने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, लोहरदगा द्वारा अधियाचना वापस लिया गया है।
3	क्या यह बात सही है रैयतों को मुआवजा भुगतान नहीं होने के कारण पथ निर्माण कार्य में बाधा हो रही है।		अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि I.R.Q.P. योजनान्तर्गत 3.00 कि०मी० पथ की स्वीकृति उपरांत पूर्व से निर्मित ग्रामीण कार्य विभाग के निर्मित पथ की उपलब्ध चौड़ाई में कार्य कराया जा रहा है। कार्य समाप्ति की तिथि–31.03.2019 है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रैयतों को मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08 ए० /भू० अ०नि०, वि०स० (तारांकित)–06/2019 121/रा० राँची, दिनांक–07-02-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–102/वि०स०, दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/19
सरकार के अवर सचिव।

678

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–13 का उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज, पिपरा, मोहम्मदगंज, हैदरनगर प्रखण्डों में आई० टी० आई० कॉलेज का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रखण्डों के छात्र–छात्राएँ आई० टी० आई० कॉलेज नहीं होने के कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जिला मुख्यालय या अन्य स्थानों पर जाते हैं;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब आई० टी० आई० कॉलेज बनवाकर बच्चों को प्रशिक्षण देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य स्तर पर आई०टी०आई० की आवश्यकता का आकलन एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज, पिपरा, मोहम्मदगंज, हैदरनगर प्रखण्डों में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर सरकार विचार करेगी।

ह०/–
(युगेश्वर पासवान)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1 / श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–75 / 2019श्र०नि०– 248 **राँची दिनांक–** 04/02/2019

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–986, दिनांक–29.01.2019 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.2.19

सरकार के उप सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-75-2019.docx

679

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 48 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि चतरा जिला में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था नही है ;		अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि चतरा जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल का भवन निर्माण कार्य चलने के कारण सदर अस्पताल परिसर में पूर्व से उपलब्ध आवासीय भवनों में तत्काल व्यवस्था के तहत् जिला अस्पताल से संबंधित कार्यालय संचालित किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि आवासीय व्यवस्था नही रहने के कारण चिकित्सकों एवं कर्मियों को बगल के जिले में आवासित होने को मजबूर है;		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिलो में चिकित्सकों एवं कर्मियों के लिए आवासीय भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		सदर अस्पताल परिसर में चिकित्सक एवं कर्मियों के लिए आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची से डी0पी0आर0 की मांग की गई है, डी0पी0आर0 प्राप्त कर आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)–19/19– 224 स्वा0, राँची, दिनांकः 06.02.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 653/वि0स0, दिनांक– 20.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/2/19
अवर सचिव।

680

श्रीमती जोबा मांझी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 26 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत आनन्दपुर प्रखण्ड में उप स्वास्थ्य केन्द्र का स्थापना हो चुका है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण होने के बावजूद फिलहाल इसका संचालन आनन्दपुर प्रखण्ड कार्यालय के एक कमरे में चल रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र आनन्दपुर प्रखण्ड कार्यालय से कुछ ही दुरी पर अवस्थित है, स्वास्थ्य केन्द्र अपने भवन में संचालित है।
3. क्या यह बात सही है कि आनन्दपुर उप स्वास्थ्य केन्द्र का नवनिर्मित भवन में सी0आर0पी0एफ0 कार्यालय का संचालन किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। सी0आर0पी0एफ0 कैम्प कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दपुर के अद्धनिर्मित भवन में संचालित है।
4. क्या यह बात सही है कि उक्त नवनिर्मित भवन सी0आर0पी0एफ0 के कब्जे में रहने और प्रखण्ड कार्यालय के एक कमरे में उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र चलने के कारण चिकित्सकों और एएनएम के साथ ही वहाँ आनेवाले मरीजों का काफी दिक्कते हो रही है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि आनन्दपुर स्वास्थ्य उपकेन्द्र अपने भवन में संचालित है। सी0आर0पी0एफ0 कैम्प कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दपुर के अद्धनिर्मित भवन में संचालित है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड को उक्त अद्धनिर्मित भवन सी0आर0पी0एफ0 कैम्प के कब्जे से मुक्त करान अनुरोध किया गया है। उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को उक्त अद्धनिर्मित भवन सी0आर0पी0एफ0 कैम्प के कब्जे से मुक्त कराने एवं उक्त भवन को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 10/2019–226 स्वा0, राँची, दिनांक: 06.02.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 391/वि0स0, दिनांक– 16.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/19
अवर सचिव।

681

श्रीमती सीमा देवी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–08.02.19 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स– 59 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखण्ड के भोगनाडीह में ए0एन0एम0 ट्रेनिंग कॉलेज बनकर तैयार है किन्तु अब तक इसका प्रयोग शिक्षण कार्य हेतु नहीं किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है, कि उक्त कॉलेज के भवन का प्रयोग नहीं होने के कारण भवन जर्जर हो जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ए0एन0एम0 ट्रेनिंग कॉलेज भवन में शिक्षण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के सहयोग एवं Prejha Foundation के माध्यम से साहेबगंज जिला के भोगनाडीह में नवनिर्मित प्रशिक्षण स्कूल को नर्सिंग कौशल कॉलेज के रूप में संचालित करने हेतु विभागीय सहमति प्रदान की गयी है। शिक्षण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 10/क्यु (वि0स0)–01-03/2019–57(10) राँची, दिनांक– 06/02/2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 837 दिनांक– 23-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

Tiwari

(682)

श्री डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–25 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स०		उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में भू–अभिलेखों के सुरक्षा के लिए जिलास्तर पर Record Room बनाया गया है जहाँ भू–अभिलेखों की सुरक्षित रखा जाता है ;		स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के भू–अभिलेखो की Record Room जामताड़ा में न रख कर पश्चिम बंगाल के सीवड़ी में रखे जाने से रैयतों को काफी कठिनाई होती है ;		अस्वीकारात्मक। इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। जामताड़ा जिला के भू–अभिलेख जामताड़ा जिले के रिकार्ड रूम में संधारित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा जिला के सभी भू–अभिलेखों को पश्चिम बंगाल के सीवड़ी से मंगवाकर जामताड़ा Record Room में सुरक्षित रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01 /निदे० अभि०, वि०स० (तारांकित)–07 / 2019 - 104/नि.अ. राँची, दिनांक–04-02-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–840/वि०स०, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/19

सरकार के अवर सचिव।

683

श्रीमती सीमा देवी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 62 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड स्थित रेफरल अस्पताल 30 बेड का है जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अस्पताल है;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल का भवन बहुत ही जर्जर हालत में है, जिस कारण दुर्घटना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल सिल्ली के भवन का एक हिस्सा जर्जर स्थिति में है भवन के जर्जर वाले हिस्से को प्रयोग में लाने पर रोक लगा दी गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(01) में वर्णित रेफरल अस्पताल की मरम्मति वर्तमान में ही कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		प्रश्नाधीन स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन की मरम्मति कराने हेतु सिविल सर्जन, राँची के पत्रांक–135 दिनांक 16.01.2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल–1 से प्राक्कलन की मांग की गई है। प्राक्कलन प्राप्त कर उक्त केन्द्र की मरम्मति का कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (ता0)– 29 / 19– 221 स्वा0, राँची, दिनांकः 06.2.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 907 / वि0स0, दिनांक– 24.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/19
अवर सचिव।

684

श्री नागेन्द्र महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 27 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान–सभा क्षेत्र के सरिया प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास दिनांक 13.01.2008 को तत्कालीन स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री द्वारा किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित भवन आजतक नहीं बना और न ही चिकित्सा सेवा बहाल हुई है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भवन का निर्माण प्रारंभ करने तथा चिकित्सा सेवा बहाल करने के साथ–साथ दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया का भवन निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2007–08 में दी गई थी जिसका निर्माण कार्य उपायुक्त के द्वारा चयनित एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गिरिडीह के द्वारा विभागीय रूप में कराया जा रहा था। राज्य सरकार के निदेश के आलोक में विभागीय रूप में कराए जा रहे कार्यो पर वर्ष 2010–11 से रोक लगने के कारण निर्माण कार्य बन्द हैं। वर्तमान में उपरोक्त योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु उपायुक्त, गिरिडीह के द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत अर्द्धनिर्मित भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। वर्तमान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया में पदस्थापित चार चिकित्सक, दो ए0एन0एम0, एक प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक पुरूष कक्ष सेवक, एक फर्मासिस्ट के माध्यम से चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। योजना कार्य लंबित रखने के लिए दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित कर आरोप पत्र (प्रपत्र–'क') की मांग उपायुक्त, गिरिडीह से की गई है, प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 11/19– 223 स्वा0, राँची, दिनांक: 06·02·19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 392/वि0स0, दिनांक– 16.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/19
अवर सचिव।

685

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–29 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स०		उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान सभा क्षेत्र के बगोदर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–अटका में NH2 के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया है;		स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित भूमि अधिग्रहण में आवासीय प्लॉटों का मुआवजा राशि कृषि भूमि के दर से तय कर भुगतान किया गया है ;		खतियान में दर्ज भूमि के किस्म के आधार पर मुआवजा की राशि का आंकलन किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि जमीन अधिग्रहण में पारदर्शिता एवं उचित प्रतिकर अधिनियम–2013 में आवासीय प्लाट को कृषि भूमि में तब्दील कर अधिग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है;		स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि NH2 के किनारे जमीन निबंधन कराने पर रैयतों को 8 डी० तक आवासीय दर से निबंधन करवाना पड़ता है;		विभागीय पत्रांक–1391, दिनांक–29.07.09 में यह प्रावधान शहरी क्षेत्रों से सटे भूमि के लिए है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1, 2, 3 एंव 4 में वर्णित विषय के आलोक में मुआवजा राशि का भुगतान आवासीय दर पर करने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		विभागीय संकल्प संख्या–478, दिनांक–31.08.2018 द्वारा निर्णय लिया गया है कि अर्जनाधीन भूमि के खतियान में निहित प्रकृति/प्रकार एवं वर्तमान स्वरूप तथा प्रकार के बिन्दु पर विवादों को दूर करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय जिसमें संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचलाधिकारी तथा जिला अवर निबंधन पदाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होगें। उक्त समिति द्वारा भू–अभिलेख/दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों तथा अर्जनाधीन भूमि के वास्तविक प्रकृति/प्रकार अथवा वर्गीकरण के आधार पर किस्म सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08 बी० /भू० अ०नि०, वि०स० (तारांकित)–26/2019 122/Gen राँची, दिनांक– 07-02-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–905/वि०स०, दिनांक–24.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/19

सरकार के अवर सचिव।

(686)

श्री रामकुमार पाहन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 37 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोंगईबेड़ा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र, कमता का नया भवन तैयार है, लेकिन हैंडओवर नही होने के कारण स्वास्थ्य कर्मियों एवं ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र कमता के डिमरा में कल्याण विभाग की योजना (एम0एस0डी0पी0) के तहत स्वीकृत है। उपायुक्त, राँची के पत्रांक 59(i) दिनांक 12.02.18 द्वारा उक्त योजना हेतु भूमि अनुपलब्धता एवं अन्य कारणों से योजना के रद्दीकरण हेतु कल्याण विभाग को अनुशंसा की गई है। उक्त स्थान पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र किराये के मकान में संचालित है, जहाँ ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय पत्रांक–59(6)ब दिनांक 12.08.14 द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र बोंगईबेडा के भवन निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो वर्तमान में पूर्ण है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वास्थ्य कर्मियों एवं ग्रामीणों की सुविधा हेतु उक्त नये भवन को हैंडओवर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		स्वास्थ्य उपकेन्द्र बोंगईबेडा के भवन को हस्तगत लेने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसे हस्तगत कर संचालित कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 15/19–232 स्वा0, राँची, दिनांकः 07.02.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 643/वि0स0, दिनांक– 20.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/19
अवर सचिव।

687

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–08.02.19 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स– 39 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखण्ड का गठन वर्ष 2009 में किया गया है जिसके अन्तर्गत कुल–13 पंचायत है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित प्रखण्ड की दूरी हजारीबाग जिला मुख्यालय से 12 कि0मी0 होने के कारण लोगो को गंभीर रोगो का ईलाज करान के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग आना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का प्रावधान है साथ ही उक्त जिला में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार होने के बावजूद उक्त सभी केन्द्र बंद है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रही है ;	स्वीकारात्मक। कटकमदाग प्रखण्ड अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र, ढेंगुरा में श्रीमती बिमला उरॉव, ए0एन0एम0 पदस्थापित थी जो दिनांक–10.01.19 को त्याग पत्र दे दी है। त्यागपत्र के उपरांत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटकमसाण्डी के पत्रांक–58 दिनांक–06.02.19 के द्वारा ढेंगुरा में श्रीमती मुन्नी कुमारी, ए0एन0एम0 (अनुबंध) की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है, जो कार्य संपादन कर रही है।
4-	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त जिला में बंद पड़े उप स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु IPHS मापदण्ड के अनुरूप सामान्य क्षेत्र के लिए 1,20,000/– तथा जनजातीय क्षेत्र के लिए कुल 80,000/– जनसंख्या अपेक्षित है। चूँकि प्रश्नाधीन प्रखण्ड की आबादी मात्र 82,385/– है। फलस्वरूप उक्त प्रखण्ड में वर्त्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति देने में कठिनाई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-02/19 109 (15) राँची, दिनांक– 6/2/2019
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 645 दिनांक– 20-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.2.19
सरकार के उप सचिव

Tiwari